

उत्तर प्रदेश सरकार
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-सीपी 490/84-2-2009-सीपी 41/90 टीसी
लखनऊ :: दिनांक :: 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या - 68 सन् 1986) के धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) नियमावली, 2009

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) नियमावली, 2009 कही जाएगी।
- नियम 2-क का संशोधन 2- (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में, नियम 2-क, में उप नियम (1) में खण्ड - (एक) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप खण्ड रद्द दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ- 1
विद्यमान उप खण्ड

स्तम्भ- 2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड

- (क) उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद विभाग के प्रभारी मंत्री — अध्यक्ष
- (क) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के प्रभारी मंत्री — अध्यक्ष

आज्ञा से,

(जेकब थॉमस)
प्रमुख सचिव।

संख्या-सीपी 490(1)/84-2-2009-सीपी 41/90 टीसी, तद्विनांक

प्रतिलिपि - उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4खण्ड-(ख) में दिनांक 27 अगस्त, 2009 को प्रकाशित करते हुए इसकी 25. (पच्चीस) प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चन्द्र प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-सीपी 490(2)/84-2-2009-सीपी 41/90 टीसी, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- (1) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सभी सरकारी सदस्यगण।
- (4) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, उओप्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(चन्द्र प्रकाश)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Upphokta Sanrshan Evam Bañt Map Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no C.P. 490/84-2-2009-C.P. 41/90 TC dated :: 27 August, 2009

NOTIFICATION


No. C.P. 490/84-2-2009-C.P. 41/90 TC
Lucknow :: Dated :: 27 August, 2009

In exercise of powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987.

The Uttar Pradesh Consumer Protection (Tenth Amendment) Rules, 2009

Short title and commencement	1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Tenth Amendment) Rules, 2009
	(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Amendment of rule 2-A	2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 in rule 2-A, in sub-rule (1), in clause (i) for the existing sub clause (i) set out in column 1 below, the sub clause as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	<i>Column 1</i>		<i>Column 2</i>
	<i>Existing Sub Clause</i>		<i>Sub Clause as hereby substituted</i>
(a)	The Minister Incharge of Food and Civil Supplies Department, Uttar Pradesh ----- Chairman	(a)	The Minister Incharge of Consumer Protection and Weight and Measurement Department, Uttar Pradesh ----- Chairman

By Order,

(Jacob Thomas)
Principal Secretary.